

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**

**कार्यालय आदेश**

का0आ0 सं0-4/स्था0संविदा नियुक्ति 1/2013-42 (4)/रा0, दिनांक- 5/02/2013  
बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 के आलोक में राज्य में सभी जिलों में भू-अभिलेखों के अद्यतीकरण/सर्वेक्षण कार्यक्रम को समय-सीमा के अंदर संपादित कराने हेतु विभाग द्वारा गठित त्रिसदस्यीय समिति से अनुशंसित निम्नांकित सेवानिवृत्त कर्मियों को अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो के पद पर कुल 17000/- निर्धारित मासिक मानदेय पर एकरारनामा की तिथि से संविदा के आधार पर चयन करते हुए स्तम्भ-5 में अंकित बन्दोबस्त कार्यालय में योगदान की तिथि से अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :-

क्रमांक	आवेदक का नाम/पिता का नाम/पत्राचार का पता	जन्म तिथि	आरक्षण कोटि	पद एवं पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5
1	श्री रामेश्वर सिंह स्व0 राम देव सिंह ग्राम-भगवानपुर पो0-भगवानपुर चट्टी थाना-सदर, मुजफ्फरपुर पिन-842001 बिहार	04.01.52	सामान्य	कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, नालंदा
2	श्री रघुनाथ साह स्व0 चन्द्रिका साह ग्राम-छवही तकी पो0-गोपालगंज थाना-माझागठ जि0- गोपालगंज	01.12.50	पि0वर्ग	कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, नालंदा
3	श्री सुभाष प्र0 चौधरी स्व0 देवनन्दन चौधरी ग्राम-रावलटोला छोटा तेलपा मनोकामना नगर, सारण छपरा	20.08.52	अनु0जाति	कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, नालंदा

4	श्री जगदीश नारायण हरिजन स्व० रामदयाल हरिजन ग्राम-हथसारगंज (बाबू टोला) पो० थाना-हाजीपुर जिला-वैशाली  72345	10.07.52	अनु०जाति	कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, नालंदा
5	श्री कमरुद्दीन अंसारी स्व० शमशुद्दीन अंसारी ग्राम-कोया पो०-कोपा थाना-कोपा जि०-सारण	11.07.48	अ०पि०वर्ग	कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, नालंदा
6	श्री नरेश शर्मा स्व० रामनुज शर्मा मुहल्ला-वशिष्ठ कॉलोनी हरनीचक पो०-अनिसाबाद थाना-फुलवारीशरीफ पटना-2	06.07.49	सामान्य	कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, नालंदा
7	श्री सुरेश प्रसाद स्व० लक्ष्मी महतो मुहल्ला-द्वारिकापुरी टाउन नं०-4 हनुमाननगर थाना-पत्रकारनगर पटना-20	01.03.51	पि०वर्ग	कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, नालंदा

2. उपर्युक्त चयनित कर्मियों का अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक होगी तथा उनकी सेवा का विस्तार आवश्यकतानुसार एक-एक साल के लिए इनके कार्यों के समीक्षोपरान्त की जायेगी।

3. इनके द्वारा किये कार्यों की समीक्षा समय-समय पर इनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा की जायेगी। अगर इनका कार्य संतोषजनक नहीं हुआ तो बिना किसी कारण पृच्छा किये इन्हें उक्त पद एवं कार्य से विमुक्त कर दिया जायेगा।


4. उपर्युक्त संविदा के आधार पर चयनित कर्मियों का अनुबंध बन्दोबस्त पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, नालंदा के द्वारा किया जायेगा।

5. अनुबंध किये जाने के उपरान्त बन्दोबस्त कार्यालय में योगदान की तिथि ही इनकी नियुक्ति की तिथि मानी जायेगी।

6. उपर्युक्त चयनित उम्मीदवार एक माह के अन्दर बन्दोबस्त कार्यालय, नालंदा में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प 2401 दिनांक-18.07.2007 में संलग्न एकरारनामा पत्र में अनुबंध करेंगे।


7. उपर्युक्त चयनित उम्मीदवार एक माह के अन्दर यदि अपना विहित एकरारनामा-पत्र में अनुबंध कराकर बन्दोबस्त कार्यालय, नालंदा में अपना योगदान समर्पित नहीं करेंगे तो उनका चयन रद्द कर दिया जायेगा।

8. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जायेगा।

  
(मिथिलेश कुमार शुक्ला)  
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-4/स्था0संविदा नियुक्ति 1/2013-<sup>42</sup> (4)/रा0, पटना-15, दिनांक- 5/02/2013

प्रतिलिपि:-सचिव-सह-निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, पटना/समाहर्ता, नालंदा/बन्दोबस्त पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, नालंदा/प्रभारी पदाधिकारी बन्दोबस्त कार्यालय, नालंदा/कोषागार पदाधिकारी, नालंदा बिहार शरीफ/सभी सम्बन्धित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(मिथिलेश कुमार शुक्ला)  
सरकार के अवर सचिव